

l f'pdkLr l f'pdkvka dh l vph&2014  
fl rEcj&2014  
f' k{kk foHkkx

de l 0	l f'pdk l a[; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(शिक्षा)08/2013	श्री सहजानन्द चौबे, प्रधानाध्यापक रामारुद्र उच्च विद्यालय, चास, बोकारो पर भ्रष्टाचार का आरोप के संबंध में ओमप्रकाश, पत्राकार का परिवाद ।	17.09.2014	निदेशक माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

[kk | vki vfr] foHkkx

de l 0	l f'pdk l a[; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(खा.आ.)02/13	श्री रघुनाथ यादव सेवानिवृत्त रात्री प्रहरी साहेबगंज के उपार्जित अवकाश, पंचम पुनरीक्षित वेतन एवं कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में ।	21.05.2014	माननीय लोकायुक्त के आदेश के उपरान्त संचिका विशेष दूत के माध्यम से लोकायुक्त कार्यालय पटना हस्तान्तरित किया गया ।

Hkfire l q'kkj , oa jktLo foHkkx

de l 0	l f'pdk l a[; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	01/लोक(राजस्व)06/14	श्री शमीम अख्तर अंसारी, मोहरिल, बन्दोबस्त कार्यालय दुमका के स्थानान्तरण के संबंध में श्री राजीव रंजन वर्मा अधिवक्ता भवानी पुर राँची का परिवाद ।	15.09.2014	आयुक्त संथाल परगना, दुमकासे प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(राजस्व)16/2013	लोक अदालत का निर्देश नहीं मानने के संबंध में बदरी नारायण लोहरदगा का शिकायत ।	15.09.2014	उपायुक्त लोहरदगा के प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के जमीन 8.51 एकड़ का दाखिल खरिज कर दिया गया है तथा रिश्वत मांगने के आरोप सही नहीं

				पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
--	--	--	--	---

### ou foHkkx

de l 0	l fipdk l a; k	fo"k;	l fipdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	01/लोक(वन)05/12	वन संरक्षक बफर क्षेत्र व्याघ्र परियोजना डालटनगंज द्वारा गारू महुआडाड़ एवं बरवाडीह में 2007-08 तक का कूप निर्माण एवं तालाब निर्माण में भारी घोटाला करने के संबंध में श्री रमेश प्रसाद गुप्ता, लातेहार का परिवाद ।	17.09.2014	प्रमंडलीय वन पदाधिकारी बफर क्षेत्र से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उत्तरदायि पदाधिकारियों के विरुद्ध सुचित कार्रवाई की जा रही है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(वन)04/13	स्व0 रविन्द्र कुमार सिन्हा वनरक्षी सिंहभूम वन रोपन प्रमंडल चाईबासा का सेवान्त लाभ अप्राप्त रहने के संबंध में ।	15.09.2014	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के सीभी देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

### m | ksx foHkkx

de l 0	l fipdk l a; k	fo"k;	l fipdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(उद्योग)02/14	श्री जी.एन. मिश्र रियाडा के सेवानिवृत्त कर्मि का देय पावना का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में परिवाद ।	22.09.2014	सचिव उद्योग विभाग झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के दावे को नियमानुसार निदेशक रियाडा द्वारा खारिज कर दिया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## LokLF; foHkkx foHkkx

de l 0	l fpdk l a; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	01/लोक(स्वा)02/13	सेवानिवृत विंग कमाण्डर डॉ० एन.एन.अग्रवाल भूतपूर्व निदेशक रिम्स राँची (झारखण्ड) द्वारा धोखाधड़ी कर अनुमान्य वेतन से अधिक लिए गये वेतन को लौटाने के संबंध में डॉ० रंजीत सिंह राँची का परिवाद ।	22.09.2014	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई हेतु बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(स्वा.)01/11	डॉ० पवन मिंज द्वारा फर्जी पंजीयन रिम्स से करवा कर लंबी छुट्टी में चले जाने तथा निजी प्रैक्टिस शुरू करने के संबंध में श्री अभिषेक कुमार से प्राप्त शिकायत ।	15.09.2014	प्रधान सचिव स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभाग द्वारा डॉ. मिंज के विरुद्ध समुचित कार्रवाई कर दिया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## dkfel' i z kkl fud l q'kkj , oa jk tHkk"kk foHkkx

de l 0	l fpdk l a; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	01/लोक(कार्मिक)01/2014	श्री बिनोद अग्रवाल , तत्कालिन महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान राँची, द्वारा करोड़ों रूपय सरकारी राशि का गबन करने के संबंध में एवं आय से अधिक संपत्ति अर्जि करने के संबंध में श्री मनीष कुमार का परिवाद ।	22.09.2014	परिवादी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।

## ifyl foHkkx

de l 0	l fpdk l a; k	fo"K;	l fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(पुलिस)29/12	अशुतोष कुमार सहाय सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक को तृतीय ए.सी.पी.नहीं दिये जाने के संबंध में परिवाद ।	17.09.2014	प्रधान सचिव, गृह विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी सरकार के नियमानुसार तृतीय ए.सी.पी. लाभ के हकदार नहीं है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## fl pkbz foHkkx

de l 0	l fpdk l a; k	fo"K;	l fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(सिंचाई)01/2013	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई रूपांकन प्रमंडल देवघर, शिविर दुमका द्वारा एन.आई.टी.02/11-12 के निविदा निष्पादन में अनियमितता के संबंध में मनिकान्त यादव देवघर का परिवाद ।	01.09.2014	जिला योजना पदाधिकारी देवघर द्वारा माननीय लोकायुक्त के न्यायालय में उपस्थित होकर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया ।

## xkfe.k fodkl foHkkx

de l 0	l fpdk l a; k	fo"K;	l fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(ग्रा0वि0)33/12	स्व0 गुंसी सोरेन की विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किये जाने पर श्रीमती जोबा हांसदा झलकडीहा गिरिडीह का परिवाद ।	15.09.2014	प्रखण विकास पदाधिकारी नवाडीह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के परिवाद का निरकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा. वि0)09/2013	इन्दिरा आवास व लाल कार्ड आवंटन करवाने के संबंध में श्री राम नाथ महतो, गोड्डा का परिवाद ।	17.09.2014	उपायुक्त गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा पविाद दाखिल नहीं किया गया है तथा परिवादी को पूर्व से ही इन्दिरा आवास का लाभ प्राप्त है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

3.	02/लोक(ग्रा.वि.)08/14	कूप निर्माण योजना में अनियमितता प्रमाणित होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री अर्जुन साव लातेहार का परिवाद ।	15.09.2014	उपायुक्त लातेहार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी लोक सेवक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किया जा चुका है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
----	-----------------------	---	------------	---

### fofo/k foHkkx

दॆ लॆ	l f'pdk l a'; k	fo"K;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(विविध)02/13	भारतीय स्टेट बैंक, साहेबगंज के प्रबंधक, कर्मचारी व अन्य दलालों द्वारा गलत तरिके से लोन, वृद्धा पेंशन लोन की निकासी किये जाने के संबंध में एक समाजसेवी का शिकायत ।	18.09.2014	उपायुक्त साहेबगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

### f'kdk; r

दॆ लॆ	l f'pdk l a'; k	fo"K;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	शिकायत सं.641/2013	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा गलत सूचना देने तथा वित्तीय अनियमितता के संबंध में श्री सुशील कुमार सिंधी कार्य. सदस्य झारखण्ड मुक्ति मोरचा, जामताड़ा का शिकायत ।	17.09.2014	परिवादी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 178/2014	कोडरमा जिला अन्तर्गत डोमचाच में वन भूमि का फर्जी निबंधन करने के संबंध में राजन शुक्ला का इ-मेल से प्राप्त शिकायत ।	18.09.2014	परिवादी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 86/2014	नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से संबंधित सूचना नहीं दिये जाने के संबंध में श्री ब्रजेन्द्र चौधरी, जमशेदपुर का शिकायत ।	18.09.2014	परिवादी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं 380/2014	गरीबी एवं सामाज के कमजोर वर्ग के कुप्रभाव से	17.09.2014	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत

		संबंधित श्री मंटु कुमार से प्राप्त शिकायत ।		पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 469/2013	रंगदारी मांगने तथा कार्यालय का ताला तोड़ कर सामान लेजाने के संबंध में डॉ० त्रिदेव प्रसाद पुनदाग राँची का शिकायत ।	17.09.2014	शिकायत सक्षम न्यायालय में लंबित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को बंद कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 381/2014	रैयति जमीन पर विवाह भवन बनवाने के संबंध में विवके कुमारसाह देवघर का शिकायत ।	18.09.2014	इस वाद पर पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा समूचित आदेश पारित किया जा चुका है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 423/13	पथ की जर्जर स्थिति के संबंध में श्री भरत सतपथी जमशेदपुर का शिकायत ।	17.09.2014	परिवादी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 228/13	श्री रामबली तांती चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी खनन कार्यालय साहेबगंज के विरुद्ध भ्रष्टाचार का शिकायत ।	19.09.2014	परिवादी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।